INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP00301675984617V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP00301675984617V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 11:45 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14040904/ GAUTAMBUDDH NAGAR 2/ UP-HTR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14040904961752163235510V
Purchased by	:	BHARAT VEERANGANA AVANTIBAI EDUCATION SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BHARAT VEERANGANA AVANTIBAI EDUCATION SANSTHAN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BHARAT VEERANGANA AVANTIBAI EDUCATION SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Mukesh Kumar Dubey, L. No.-156, Gr. Noida

GOVERNMENT OF INDIA NOTARIAL NOTARY

Please write or type below this line

(प्रारूप "अ")

<u>सत्र 2023-24 में नव स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप:-</u>

हम डॉ भरत सिंह एवं श्री हरस्वरूप क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव भारत वीरांगना अवंती बाई एजुकेशनल संस्थान डी-16 सेक्टर-9 [illegible] विजय नगर गाजिआबाद उत्तर प्रदेश-201009 शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा प्रिंस इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्लॉट न. 9 नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

cont-d---2

2.यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम-भारत वीरांगना अवंती बाई एजुकेशनल संस्थान पता- प्लॉट न. 9 नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नॉएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 में गाटा संख्या- प्लॉट न. 9 नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नॉएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या प्लॉट न. 9 नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नॉएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306, के कुल रकबा 0.216 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी की संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक **01.06.2022** द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण सोसाइटी के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उसे पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद की मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगे। यदि हमारे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण के मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं हमारे द्वारा मान्य होगा। इस हेतु हमारे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. हम घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

ATTESTED

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

GOVERNMENT OF INDIA NOTARY

JAGDISH PRASHAD
Regd No- 10809/15 (Advocate) Notary